रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2009/कार्तिक 6, 1931

No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2009/KARTIKA 6, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2009

सं. भा.आ.प. 2(1)/2009-मेडि. मिस./46502.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली (संशोधन), 2009-भाग-II" कहा जाए ।

   (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली संशोधन, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :-

3. भाग-XI- भारतीय मेडिकल रजिस्टर, विनियम-62 के अंत में "राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा पंजीकरण की सूचना" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

   "इसमें विफल हो जाने के परिणामस्वरूप, समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया जुर्माना किया जायेगा जो चूक कर्ता राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा भुगतान योग्य होगा ।"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/100//09/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामत: "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियमावली, 2000" दिनांक 15 नवम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 23-09-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2009

No. MCI. 2(1)/2009-Med. Misc. /46502.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Medical Council of India Regulations, 2000", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Medical Council of India Regulations, (Amendment) 2009-Part-II".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Medical Council of India Regulations, 2000", the following additions/modifications/deletions/ substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In PART-IX—INDIAN MEDICAL REGISTER, at the end of Regulations-62, under the heading "Intimation of Registration by State Medical Councils", the following shall be added :—

   "failure thereof shall result in imposition of such fine payable by the erring State Medical Council as would be prescribed by the Council from time to time."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/100/09/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Medical Council of India Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 15th November, 2000 and amended *vide* notification dated 23-09-2009.

3902 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.